



गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय

ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

जी.बी.यू.-012/डी.एस.ए./032/027/2024-048

दिनांक:- 29/10/2024

::कार्यालय आदेश::

दिनांक 11.03.2022 को जारी कार्यालय आदेश (जी.बी.यू.-002/प्रशा./2.1/2022-4922) के माध्यम से शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में नवप्रवेशित समस्त छात्राओं को (पूर्णकालिक शोध छात्राओं को छोड़कर) छात्रावास की अनिवार्यता से मुक्त कर, ऐच्छिक कर दिया गया था।

उक्तानुसार, सक्षम स्तर द्वारा दिनांक 21.10.2024 को सन्दर्भित कार्यालय आदेश के पुर्नअनुमोदन की पृष्ठभूमि में उपरोक्त कार्यालय आदेश को सम्बन्धित छात्राओं के पाठ्यक्रम के अन्त तक प्रभावी किया जाता है। उक्त आदेश ऐसी छात्राओं पर प्रभावी होगा जिनके द्वारा अपने पूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रम/पाठ्यक्रम की अवधि में छात्रावास आवंटन न कराया गया हो।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(डा0 विश्वास त्रिपाठी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

- माननीय कुलपति महोदय, के स्टाफ को महोदय के संज्ञान में लाने हेतु।
- अधिष्ठाता शैक्षणिक को सूचनार्थ।
- समस्त संकाय अधिष्ठाता/प्रभारी अधिष्ठाताओं को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट पर चर्चा कराये जाने हेतु।
- प्रभारी, छात्र कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- अध्यक्ष परीक्षा विभाग को सूचनार्थ।
- मुख्य छात्रावास अभिरक्षक पुरुष एवं महिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- सिस्टम मैनेजर को, विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव